

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापति प्रमाणपत्र)

फ़ाईल संख्या : UPFS/2024/85266/ETA/ETAH/480/CFO

दिनांक : 08-06-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **T.D. PUBLIC SCHOOL ALIGANJ** पता **KHASRA No. 1048,1049,1050,1050A PART,KELTHA BY PASS,ETAH** तहसील - **ALIGANJ** प्लॉट एरिया **6100.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3164.04** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	2	0	8.38 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **T.D. PUBLIC SCHOOL ALIGANJ** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आईएस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **10-06-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SHRI SIYARAM SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्न भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-06-2024** से **09-06-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **T.D. PUBLIC SCHOOL ALIGANJ** अधिभोमी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **T.D. PUBLIC SCHOOL ALIGANJ** अधिभोमी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अविरोधी, सपनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : AS PER FSSO REPORT- 1- According to CLAUSE 26(5) OF UTTAR PRADESH FIRE AND EMERGENCY, SERVICES ACT 2022, it is the responsibility of the building owner to maintain fire fighting arrangement in his building and tested in 3 months 6 months and annually and submit its operational certificate to the fire service efo office etah, every 06 month JANUARY and JULY if fire fighting operational certificate not submitted FIRE NOC shall REJECTED. 2-Set back concert as per gov order date-07.01.2022. 3- Always maintenance the fighting system in working condition which suggestion from the department time to time.



निर्गत किये जाने का दिनांक : **10-06-2024**
स्थान : **ETAH**

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

RAMESH KUMAR TIWARI

FF1950F2FF11025C28D55235B9D959EBCF4582A3

10-06-2024

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.